उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्याः 172/III(1)/2021–02(19)जांच/2021
देहरादूनः दिनांक 22 जून, 2021

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांक 18.06.2021 के अनुसार जनपद देहरादून में थानों–रायपुर–सहस्त्रधारा मोटर मार्ग के किमी0 12 में निर्मित मोटर सेतु के अन्तर्गत बड़ासी के निकट सेतु के एप्रोच मार्ग के upstream की आर0सी0सी0 धारक दिवाल 24 मी0 लम्बाई में क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके कारण ट्रैफिक बाधित है। जांच आख्यानुसार उक्त सेतु के पहुंच मार्ग से सम्बन्धित धारक दिवाल के निर्माण में कन्सल्टेन्ट के द्वारा प्रस्तुत Structural Drawing को सक्षम अधिकारी से बिना अनुमोदन के अधोमानक निर्माण कार्य कराया गया, कार्य स्थल पर निर्मित पहुंच मार्ग पर बरसात के पानी की निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं रखा गया, कार्य स्थल पर धारक दिवाल (R/W) के पीछे 600 mm. मोटाई में फिल्टर Material नहीं दिया गया तथा पहुंच मार्ग में Soil Filling कार्य में Proper Consolidation नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत सेतु/एप्रोच मार्ग के निर्माण में विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित प्रकार से नहीं किया गया। इससे शासकीय धन की हानि के साथ–साथ सरकार की छवि धूमिल हुई है तथा विभाग के कार्यक्षमता एवं दक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगा है।

2– उक्त के अतिरिक्त सेतु/एप्रोच मार्ग कार्य के अनुबन्ध का अन्तिमीकरण **श्री जीत सिंह रावत, अधिशासी अभियन्ता** द्वारा किया गया है। श्री रावत द्वारा अपने कार्य एवं दायित्वों के अनुरूप उक्त सेतु/एप्रोच मार्ग का दिन प्रतिदिन के आधार पर डी0एल0पी0 में इंगित कमियों का निराकरण समयान्तर्गत नहीं कराया गया। इस प्रकार की लापरवाही उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम 03 उपनियम (1) व (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त के फलस्वरूप **श्री जीत सिंह रावत, अधिशासी अभियन्ता** के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है। प्रश्नगत आरोप इस प्रकृति के हैं कि विस्तृत जांच के दौरान उसके सिद्ध होने की स्थिति में **श्री जीत सिंह रावत** को दीर्घ शास्ति भी दी जा सकती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् **श्री जीत सिंह रावत, अधिशासी अभियन्ता** को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 एवं संशोधन नियमावली, 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

3– निलम्बन की अवधि में **श्री जीत सिंह रावत, अधिशासी अभियन्ता** को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन की तिथि को

Scanned by CamScanner

प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

4– उपर्युक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि **श्री जीत सिंह रावत, अधिशासी अभियन्ता** इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

5– **श्री जीत सिंह रावत** निलम्बन की अवधि में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी में सम्बद्ध रहेंगे।

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

पृ0संख्याः–1172–/III(1)2021/02(19)जांच/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
(2) निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
(3) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
(4) जिलाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
(5) प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून को तीन प्रतियों में इस आशय से कि एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी को हस्तगत कराकर पावती शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(6) श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियन्ता, स्तर–2, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, देहरादून को प्रश्नगत प्रकरण की प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांक 18.06.2021 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ कि प्रकरण की विस्तृत जांच करते हुये जांच आख्या के साथ–साथ अपचारी अभियन्ताओं के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार कर शासन को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(7) मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी।
(8) मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून।
(9) वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
(10) सम्बन्धित अधिकारी (नाम से) को द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनुसचिव

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्याः 171/III(1)/2021–02(19)जांच/2021
देहरादूनः दिनांक 22 जून, 2021

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांक 18.06.2021 के अनुसार जनपद देहरादून में थानों–रायपुर–सहस्त्रधारा मोटर मार्ग के किमी0 12 में निर्मित मोटर सेतु के अन्तर्गत बड़ासी के निकट सेतु के एप्रोच मार्ग के upstream की आर0सी0सी0 धारक दिवाल 24 मी0 लम्बाई में क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके कारण ट्रैफिक बाधित है। जांच आख्यानुसार उक्त सेतु के पहुंच मार्ग से सम्बन्धित धारक दिवाल के निर्माण में कन्सल्टेन्ट के द्वारा प्रस्तुत Structural Drawing को सक्षम अधिकारी से बिना अनुमोदन के अधोमानक निर्माण कार्य कराया गया, कार्य स्थल पर निर्मित पहुंच मार्ग पर बरसात के पानी की निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं रखा गया, कार्य स्थल पर धारक दिवाल (R/W) के पीछे 600 mm. मोटाई में फिल्टर Material नहीं दिया गया तथा पहुंच मार्ग में Soil Filling कार्य में Proper Consolidation नहीं किया गया।

2– उक्त वर्णित स्थिति/तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत सेतु/एप्रोच मार्ग के निर्माण में विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित प्रकार से नहीं किया गया। इससे शासकीय धन की हानि के साथ–साथ सरकार की छवि धूमिल हुई है तथा विभाग के कार्यक्षमतां एवं दक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगा है। इस प्रकार की लापरवाही उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम 03 उपनियम (1) व (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त के फलस्वरूप **श्री शैलेन्द्र मिश्र, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सम्प्रति सहायक अभियन्ता** के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है। उक्त आरोप इस प्रकृति के हैं कि विस्तृत जांच के दौरान उसके सिद्ध होने की स्थिति में **श्री शैलेन्द्र मिश्र** को दीर्घ शास्ति भी दी जा सकती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् **श्री शैलेन्द्र मिश्र, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सम्प्रति सहायक अभियन्ता** को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 एवं संशोधन नियमावली, 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

3– निलम्बन की अवधि में **श्री शैलेन्द्र मिश्र, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सम्प्रति सहायक अभियन्ता** को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकांश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन की तिथि को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

Scanned by CamScanner

4– उपर्युक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि **श्री शैलेन्द्र मिश्र** इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

5– **श्री शैलेन्द्र मिश्र** निलम्बन की अवधि में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी में सम्बद्ध रहेंगे।

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

पृ0संख्याः– 1171 /III(1)2021/02(19)जांच/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
(2) निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
(3) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
(4) जिलाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
(5) प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून को तीन प्रतियों में इस आशय से कि एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी को हस्तगत कराकर पावती शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(6) श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियन्ता, स्तर–2, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, देहरादून को प्रश्नगत प्रकरण की प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांक 18.06.2021 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ कि प्रकरण की विस्तृत जांच करते हुये जांच आख्या के साथ–साथ अपचारी अभियन्ताओं के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार कर शासन को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(7) मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी।
(8) मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून।
(9) वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
(10) सम्बन्धित अधिकारी (नाम से) को द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनुसचिव

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्याः 1156/III(1)/2021–02(19)जांच/2021
देहरादूनः दिनांक 22 जून, 2021

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांक 18.06.2021 के अनुसार जनपद देहरादून में थानों–रायपुर–सहस्त्रधारा मोटर मार्ग के किमी0 12 में निर्मित मोटर सेतु के अन्तर्गत बड़ासी के निकट सेतु के एप्रोच मार्ग के upstream की आर0सी0सी0 धारक दिवाल 24 मी0 लम्बाई में क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके कारण ट्रैफिक बाधित है। जांच आख्यानुसार उक्त सेतु के पहुंच मार्ग से सम्बन्धित धारक दिवाल के निर्माण में कन्सल्टेन्ट के द्वारा प्रस्तुत Structural Drawing को सक्षम अधिकारी से बिना अनुमोदन के अधोमानक निर्माण कार्य कराया गया, कार्य स्थल पर निर्मित पहुंच मार्ग पर बरसात के पानी की निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं रखा गया, कार्य स्थल पर धारक दिवाल (R/W) के पीछे 600 mm. मोटाई में फिल्टर Material नहीं दिया गया तथा पहुंच मार्ग में Soil Filling कार्य में Proper Consolidation नहीं किया गया।

2– उक्त वर्णित स्थिति/तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत सेतु/एप्रोच मार्ग के निर्माण में विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित प्रकार से नहीं किया गया। इससे शासकीय धन की हानि के साथ–साथ सरकार की छवि धूमिल हुई है तथा विभाग के कार्यक्षमता एवं दक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगा है। इस प्रकार की लापरवाही उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम 03 उपनियम (1) व (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त के फलस्वरूप **श्री अनिल कुमार चन्दोला, सहायक अभियन्ता** के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है। उक्त आरोप इस प्रकृति के हैं कि विस्तृत जांच के दौरान उसके सिद्ध होने की स्थिति में **श्री अनिल कुमार चन्दोला** को दीर्घ शास्ति भी दी जा सकती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् **श्री अनिल कुमार चन्दोला, सहायक अभियन्ता** को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 एवं संशोधन नियमावली, 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

3– निलम्बन की अवधि में **श्री अनिल कुमार चन्दोला, सहायक अभियन्ता** को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन की तिथि को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

Scanned by CamScanner

4– .उपर्युक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि **श्री अनिल कुमार चन्दोला, सहायक अभियन्ता** इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

5– **श्री अनिल कुमार चन्दोला** निलम्बन की अवधि में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी में सम्बद्ध रहेंगे।

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

पृ0संख्याः– 1156 **/III(1)2021/02(19)जांच/2021, तददिनांक।**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
(2) निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
(3) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
(4) जिलाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
(5) प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून को तीन प्रतियों में इस आशय से कि एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी को हस्तगत कराकर पावती शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(6) श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियन्ता, स्तर–2, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, देहरादून को प्रश्नगत प्रकरण की प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांक 18.06.2021 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ कि प्रकरण की विस्तृत जांच करते हुये जांच आख्या के साथ–साथ अपचारी अभियन्ताओं के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार कर शासन को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(7) मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी।
(8) मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून।
(9) वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
(10) सम्बन्धित अधिकारी (नाम से) को द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनुसचिव

Scanned by CamScanner